

कार्यालय- जनपद न्यायाधीश, सन्त कबीर नगर।
नीलामी सूचना

दिनांक 08.09.2026

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये माननीय जनपद न्यायाधीश, सन्त कबीर नगर द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन जनपद न्यायालय परिसर सन्त कबीर नगर में स्थित अनावंटित दुकान सं० 1 जलपान एवं दुकान सं० 5 फोटोस्टेट की नीलामी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित नीलामी समिति की उपस्थिति में दिनांक 19.09.2026 को अपराह्न 4:30 बजे न्यायालय भवन के भूतल में स्थित सभागार कक्ष में सम्पन्न की जायेगी।

इच्छुक व्यक्ति कार्यालय समय में केन्द्रीय नजारत से दुकान नीलामी विवरण एवं नीलामी शर्तें प्राप्त कर सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में नीलामी होने वाली अनावंटित अस्थायी दुकानों का विवरण

क्रम सं०	स्थल का नाम	प्रयोजन
1	अधिवक्ता चैम्बर के दक्षिण की तरफ खडंजे के बगल पूर्वी छोर में (25X19) फीट दुकान सं० 1	जलपान
2	अधिवक्ता चैम्बर के दक्षिण की तरफ खडंजे के बगल में (10X19) फीट दुकान सं० 05	फोटोस्टेट

यह ठेका वित्तीय वर्ष 2026-2027 के शेष अवधि माह अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 तक के लिए वैध होगा।

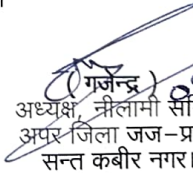
नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित धरोहर धनराशि दुकान संख्या-01 जल जलपान के लिए रूपया-29,548/- तथा दुकान संख्या-05 फोटोस्टेट के लिए धरोहर धनराशि रूपया-16,275/-के साथ आवेदन पत्र व अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र जनपद न्यायालय सन्त कबीर नगर के नजारत अनुभाग में उपस्थित होकर दिनांक 18.09.2026 को अपराह्न 4.30 बजे तक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा उक्त अवधि तक नीलामी की शर्तें प्राप्त की जा सकती हैं अन्यथा निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।

न्यायालय परिसर सन्त कबीर नगर में पूर्व में आवंटित हुये ठेको से सम्बन्धित किसी भी ठेकेदार द्वारा यदि कोई भी धनराशि किसी भी समय का बकाया है, तो उसको या उसके परिवार के सदस्यों या प्रतिनिधि को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी प्रकार का वह व्यक्ति ठेका प्राप्त कर लेता है, तो इसकी जानकारी होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और उक्त दुकान की पुनः बोली करा दी जायेगी।

नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को बोली बोलने हेतु सरकारी बोली समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम बोली दुकान संख्या-01 जलपान की धनराशि रूपये-2,95,482/- तथा दुकान संख्या-05 फोटोस्टेट की धनराशि रूपये-1,62,745/- से प्रारम्भ की जायेगी। निर्धारित धरोहर धनराशि रूपया-29,548/- दुकान संख्या-01 जल जलपान तथा दुकान संख्या-05 फोटोस्टेट धरोहर धनराशि रूपया-16,275/-जमानत के रूप में जमा करना होगा। बोलीकर्ता को जमानत धनराशि जमा करने के उपरान्त ही बोली बोलने का अधिकार होगा।

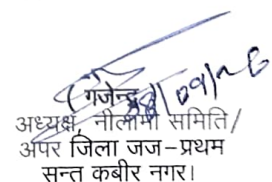
उपरोक्त से सम्बन्धित जमा की जाने वाली धनराशि नगद जमा की जायेगी, किसी प्रकार का चेक/ड्राफ्ट/बिल आदि ग्रहण नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त नीलामी की तिथि में किसी प्रकार का परिवर्तन व धरोहर राशि में वृद्धि किये जाने अथवा स्वीकृति/अस्वीकृति एवं किसी प्रकार के विवाद के लिये अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार माननीय जिला जज, सन्त कबीर नगर के अधीन सुरक्षित होगा, जो सभी को मान्य होगा।


अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला जज-प्रथम
सन्त कबीर नगर।

प्रतिलिपि निम्न को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु-

- 1-नोटिस बोर्ड जनपद न्यायाधीश, सन्त कबीर नगर।
- 2-नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, सन्त कबीर नगर।
- 3-नोटिस बोर्ड तहसीलदार, सन्त कबीर नगर।
- 4-नोटिस बोर्ड नगर पालिका परिसर, खलीलाबाद सन्त कबीर नगर।
- 5-नोटिस बोर्ड जनपद बार/सिविल बार एसोसिएशन, सन्त कबीर नगर।
- 6-जिला सूचना अधिकारी, सन्त कबीर नगर वास्ते कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
- 7-कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला जज-प्रथम
सन्त कबीर नगर।